न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :— श्री लाखाराम आर0 ए0 एस0

राजस्व अपील संख्या :— 02 / 2023

अपीलान्टगण	बनाम	उत्तरदातागण
1. बाबूलाल पुत्र कानाराम 2. किसनाराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी कोजा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर राजस्थान।		1. ग्राम पंचायत बूल जरिये सचिव ग्राम पंचायत बूल 2. भीखाराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी कोजा तहसील धोरीमन्ना 3. खिवणी पुत्री कानाराम जाति विश्नोई निवासी मीठड़ा खुर्द तहसील धोरीमन्ना 4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

<u>राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध ग्राम रामवास के नामान्तरकरण संख्या 54 पर ग्राम पंचायत बूल द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 03 निर्णय दिनांक 05.03.2022</u>

तारीख रजू: 05/05/22

उपस्थित अधिवक्तागण :—

01. श्री देवाराम चौधरी अपीलान्टगण

02. श्री ओमप्रकाश विश्नोई उत्तरदाता संख्या 03

निर्णय

दिनांक 27/10/23

अपील अपीलान्टगण मय अधिवक्ता की निम्न पेश की हैं कि उपर्युक्त अनवान एवं प्रकरण सदर में अपीलार्थीगण का निवेदन निम्न अनुसार है कि अपीलार्थी सख्या 01 व 02 तथा उतरदाता संख्या 02 व 03 आपस में सगे भाई बहिन है। विषयक नामान्तरकरण संख्या [illegible] प्रश्नगत भूमि सहित ग्राम रामवास के खेत खसरा नम्बर 125 रकबा 18.[illegible]1 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम के खातेदार स्व0 श्री धोलाराम पुत्र [illegible]राम जाति विश्नोई निवासी कोजा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर ने अपने जीवनकाल में एक [illegible] पब्लिक से तस्दीक सुदा वसीयत अपीलार्थीगण के हक में दिनांक 03.08.2021 को

27.10.23

उपखण्ड अधिकारी धोरीमना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:34 IST
Reason: SelfAttested

से तस्दीक सुदा वसीयत अपीलार्थीगण के हक में दिनांक 03.08.2021 को गवाह श्री वीरमाराम व श्री रामजीवन की मौजूदगी में निष्पादित की थी। उक्त श्री धोलाराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी कोजा की मृत्यु दिनांक 07.08.2021 को हो गई है। श्री धोलाराम की मृत्यु के पश्चात् अपीलार्थी संख्या 01 ने विधि को सुस्थापित प्रावधानों के अनुसार श्री धोलाराम द्वारा निष्पादित वसीयत पत्र के अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही किये जाने बाबत् संबंधित ग्रामों के हल्का पटवारी को सूचना रिपोर्ट दी गई मगर पटवारी हल्का कोजा ने ग्राम रामवास, दौलाणियों की ढाणी व कोजा में स्थित मृतक खातेदार धोलाराम पुत्र कानाराम की भूमि का उसके द्वारा वसीयत के जरिये अन्तरित किये गये दस्तावेज के अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं कर अनावश्यक रूप से तथा उतरदाता संख्या 02 व 03 से सांठ–गांठ, मिलावट कर उतराधिकार का नामान्तरकरण दर्ज कर दिया। हस्तगत अपील में प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 54 भी अन्तरण की बजाय उतराधिकार की तरह दर्ज कर दिया है जो विधि, नियमो व राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के सुस्थापित सिद्धान्तो के विरुद्ध है। मृतक खातेदार श्री धोलाराम ग्राम पंचायत कोजा का निवासी है। विधि अनुसार मृतक श्री धोलाराम के उतरधिकारियो की जांच ग्राम पंचायत कोजा के ही क्षेत्राधिकार में है। ग्राम पंचायत बूल द्वारा श्री धोलाराम क उतराधिकार का निर्धारण अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया है, जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के विरुद्ध है। राजस्थान भू–राजस्व, भू अभिलेख नियमों मे यह व्यवस्था की हुई है कि, एक खातेदार के एक से अधिक जोतो में भूमि होने की स्थिति में नामान्तरकरण की कार्यवाही की जाती है और कुछ जोतो में नामान्तरकरण की कार्यवाही छूट जाती है तो छुटी (शेष रही) हुई जोतो में स्वीकृत नामान्तरकरण के अनुसार ही नामान्तरकरण तस्दीक मान लिये जाने का प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम दोलाणियों की ढाणी व कोजा में अवस्थित मृतक स्व0 धोलाराम की भूमि के नामान्तरकरण की कार्यवाही न्यायालय तहसीलदार धोरीमना के यहां विचाराधीन है। ग्राम पंचायत कोजा के यहां नामान्तरकरण विचाराधीन [illegible] के दौरान ग्राम पंचायत कोजा द्वारा मृतक खातेदार श्री [illegible] उतराधिकारियों का निर्णय नहीं किया था जिसके कारण अपीलार्थी ने तहसीलदार धोरीमना के न्यायालय में आवेदन पेश किया है जो विचाराधीन है। ग्राम पंचायत बूल ने ग्राम पंचायत कोजा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमना (बाड़मेर)

27/10/23

उपखण्ड अधिकारी धोरीमना (बाड़मेर)

निर्णय का न तो इंतजार किया और न ही ग्राम पंचायत कोजा से इस बाबत् कोई जानकारी ली। पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता संख्या 02 व 03 से सांठ–गांठ कर मृतक खातेदार स्व. धोलाराम के स्थान पर नामान्तरकरण की कार्यवाही वसीयत के अनुसार नहीं कर उत्तराधिकारी के अनुसार की है जबकि भू अभिलेख निरीक्षक ने अपनी जांच टिप्पणी में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि "मृतक धोलाराम दिनांक 07.'08.2021 को फौत हो चुका है इसके द्वारा किसनाराम व बाबूलाल के पक्ष में अपंजीकृत वसीयत की हुई है।" इस तथ्य पर उतरदाता संख्या 01 ग्राम पंचायत बूल ने कोई ध्यान नहीं दिया ओर उतरदाता संख्या 02 व 03 से सांठ–गांठ कर ली व अपने पद का दुरूपयोग कर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विधि विरुद्ध नामान्तरण संख्या 54 ग्राम रामवास दिनांक 08.03.2022 को निर्णीत कर दिया। जिसके विरुद्ध यह अपील निम्न आधारो पर पेश है। जैर अपील प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 54 ग्राम रामवास पर पारित प्रस्ताव संख्या 03 निर्णय दिनांक 05.03.2022 विधि के सुस्थापित प्रावधानों, नियमों व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये परिपत्र की बिनाय पर गलत अनुचित, अनाधिकार पूर्वक एवं विधि विरुद्ध है जो कि जैर अपील खारीज किये जाने योग्य है । विधि अनुसार एक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की वसीयत करने का अधिकार है और इन्ही अधिकारो के अध्यधीन रहते हुए मृतक खातेदार ने पूर्ण होश–हवास में बिना किसी अनुचित दबाव के अपने जीवनकाल में ही दिनांक 03.08.2021 को अपीलार्थीगण के पक्ष में वसीयत पत्र निष्पादित कर दिया गया था। वसीयत पत्र दिनांक 03.08.2021 को मृतक खातेदार ने नोटेरी पब्लिक से तस्दीक भी करवाया था। उक्त अनुसार तस्दीक शुदा वसीयत पत्र निष्पादित होने का तथ्य भू–अभिलेख निरीक्षक धोरीमन्ना ने अपनी जांच में नामान्तरकरण पर अंकित भी कर दिया था। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत बूल ने वसीयत पत्र के संबंध में कोई संज्ञान नहीं लेकर उतराधिकार की कार्यवाही का नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया। ग्राम पंचायत बूल द्वारा निष्पादित यह कार्यवाही विधि के सुस्थापित तथ्यों के विरुद्ध है। उतरदाता संख्या 01 ग्राम पंचायत बूल ने ग्राम रामवास के नामान्तरकरण संख्या 54 निर्णय दिनांक 05.03.2022 पारित करने में गम्भीर तात्विक भूल की है, जो जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प 5 (3) राज–06 / 97 / 03 जयपुर दिनांक 18.02.1998 के अनुसार अपंजीकृत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:34 IST
Reason: SelfAttested

27.10.23
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बाड़मेर)

वसीयत के आधार पर भी ग्राम पंचायत/अधिकारी द्वारा जांच पश्चात् नामान्तरकरण किये जाने के निर्देश है मगर ग्राम पंचायत बूल के न तो वसीयत की जांच की और न ही प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 05.03.2022 के निर्णय में भू–अभिलेक निरीक्षक द्वारा अंकित की गई जांच टिप्पणी पर गुणावगुण कर कोई कारण स्पष्ट नहीं किया। इस प्रकार जैर अपील प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 54 ग्राम पंचायत बूल द्वारा मस्तिक का उपयोग किये बिना पारित किया है जो जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है। नामान्तरकरण संख्या 54 ग्राम रामवास पर पारित निर्णय दिनांक 05.03.2022 पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया और न ही ऐसी कोई सूचना अपीलार्थी पर विहित रिति से तामिल नहीं करवाई है। इस प्रकार बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित निर्णय दिनांक 05.03.2022 विधि के सुस्थापित सिद्धान्त, "दुसरे पक्ष को भी सुनो (ओडी अलटर्न पारटम) सिद्धान्त" के विरुद्ध है। इस प्रकार प्रश्नगत निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। उतरदाता संख्या 01 ग्राम पंचायत बूल का सरपंच उतरदाता संख्या 02 व 03 का नजदीकी रिश्तेदार है। नजदीकी रिश्तेदार होने के करण ग्राम पंचायत का उतरदाता संख्या 02 व 03 के प्रति एक पक्षीय मनोदशा का झुकाव है। एक पक्षीय मनोदशा का झुकाव होने से स्वयं का अभियत नही रहता है। फलतः उतरदाता संख्या 01 द्वारा पुर्वाग्रह एवं पक्षपात कर जैर अपील प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 54 के उतराधिकार के तौर पर पारित किया है, जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण ने उक्त म्यूटशेन की नकल मांगी जा नकल दिनांक 20.04.2022 को प्राप्त होने पर अपीलार्थीगण को उक्त विधि विरूद्ध तरीके से पारित नामान्तकरण का वास्तविक रूप से सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 20.04.2022 को हुआ जिसके विरूद्ध यह अपील ज्ञान की तिथी से अन्दर म्याद पेश है। फिर भी अपील पेश करने में हुऐय सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु अलग से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र साथ पेश है। सह खातेदारों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं होने से पक्षकार नहीं बनाया गया है। हस्तगत अपील में प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 54 में सह खातेदारों का कोई हक व हिस्सा प्रभावित नहीं होने से पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि :– जैर अपील प्रश्नगत नामान्तरकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:34 IST
Reason: SelfAttested

27.10.22
उपखण्ड अधिकारी धोरीमना (बाड़मेर)

संख्या 54 ग्राम रामवास पर पारित निर्णय, दिनांक 05.03.2022 विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विरुद्ध है इस कारण आज्ञा से पारित नहीं है, सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित करने पर नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त के विरुद्ध है तथा पक्षपात पूर्ण व्यवहार से पारित किया गया है जिसे जैर अपील निरस्त फरमाने की कृपा करावे। तथा माफिक वसीयत पत्र दिनांक 03.08.2021 के अनुसार जैर अपील प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 54 ग्राम रामवास अपीलार्थीगण के नाम स्वीकृत करवाने की कृपा करावे की पेश की है।

अपीलान्टगण द्वारा अपील में सम्मन पेश किया ग्राम पंचायत बूल से रेकर्ड तलबी किया गया। उत्तरदाता संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता ओमप्रकाश विश्नोई ने वकालात नामा पेश किया सामिल पत्रावली किया गया।

अपीलान्टगण व उत्तरदाता संख्या 02 से 03 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 03 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते आपसी समझौता (राजीनामा) अनुसार अपील स्वीकृत व आदेश पारित करने का प्रस्तुत किया। जिसका तथ्य इस प्रकार से हैं निवेदन अपीलान्टगण 01. बाबूलाल पुत्र कानाराम 02. किसनाराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी कोजा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर व उत्तरदाता संख्या 02 भीखाराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी कोजा तहसील धोरीमना 03 खिवणी पुत्री कानाराम जाति विश्नोई निवासी मीठड़ा खूर्द तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर वालों का इस प्रकार से है : माननीय न्यायालय में राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध ग्राम रामवास के नामान्तरकरण संख्या 54 पर ग्राम पंचायत बूल द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 03 निर्णय दिनांक 05.03.2022 के पेश की हैं जो विचाराधीन है। जिसकी तारीख पेशी आज है। अपील व अपील के अलावा अन्य खसरें तहसील धोरीमना पटवार मण्डल कोजा के राजस्व ग्राम कोजा में खेत खसरा नम्बर 512 क्षैत्रफल 0.2590 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 431 क्षैत्रफल 5.1962 हैक्टेयर किस्म [illegible] सोयम, खसरा नम्बर 340, 346 क्षैत्रफल 12.4643, 1.6754 हैक्टेयर कुल क्षैत्रफल 14.1397 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 331 [illegible] 0.1862 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 509 क्षैत्रफल [illegible]23 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम, ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:34 IST
Reason: SelfAttested

27.10.23
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमना (बाड़मेर)

रामवास के खेत खसरा नम्बर 525 क्षैत्रफल 18.8421 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, ग्राम दोलाणियों की ढाणी खेत खसरा नम्बर 169, 170, 38, 38/2 क्षैत्रफल 1.6754, 0.6961, 0.8094, 0.1862 हेक्टेयर कुल क्षैत्रफल 3.3671 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 39, 39/2 क्षैत्रफल 52.7709, 0. 3237 कुल क्षैत्रफल 53.0946 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम_हैं जो अपीलान्टगण व उत्तरदातागण के मध्य आपसी समझौता (राजीनामा) हो गया हैं जो उनको हस्तगत अपील को साथ संलग्न कर निर्णय पारित करवाना चाहते है। उपरोक्त आराजी अपीलान्टगण व उत्तरदाता संख्या 02 से 03 की पैतृक व पुस्तैनी है जो अपीलान्टगण व उत्तरदाता संख्या 02 से 03 के पिता कानाराम पुत्र बादराराम जाति विश्नोई निवासी कोजा के नाम दर्ज थी। कानाराम पुत्र बादराराम के देहान्त होने से उपरोक्त आराजी अपीलान्टगण व उत्तरदाता संख्या 02 व उनकी माता तुलछीदेवी तथा धोलाराम के नाम दर्ज हुई थी। अपीलान्टगण व उत्तरदाता संख्या 02 से 03 की माता तुलछीदेवी का देहान्त हो चुका है जिसका उत्तरदाता संख्या 03 ने अपीलान्टगण व उत्तरदाता संख्या 02 के पक्ष में सम्पूर्ण आराजी का हक तर्क कर दिया है। अपीलान्टगण व उत्तरदाता संख्या 02 से 03 के भाई धोलाराम लाऔलाद फौत हो चुका है। स्व0 धोलाराम ने अपनी सम्पूर्ण आराजी का वसीयतनामा (इच्छापत्र) अपीलान्टगण किशनाराम, बाबूलाल पि0 कानाराम के पक्ष में 03.08.2021 को कर दी जो श्रीमान् उप पंजीयक धोरीमना के कार्यालय से पंजीयन दिनांक 11.05.2022 को पुस्तक संख्या 03 जिल्द संख्या 01 में पृष्ठ संख्या 33 क्रम संख्या 202203110300009 पर पंजीबद्ध करवाई हुई है। अपीलान्टगण व उत्तरदाता संख्या 02 से 03 के मध्य आपसी लोक अदालत की भावना से समझौता (राजीनामा) हो चुका है। समझौता (राजीनामा) अनुसार उपरोक्त आराजी में अपीलान्टगण व उत्तरदाता संख्या 02 अपना नाम रखना चाहता है। उत्तरदाता संख्या 03 खिवणी पुत्री कानाराम हस्तगत समझौता (राजीनामा) के जरिये अपने पिता, माता, भाई का सम्पूर्ण हक-हिस्सा त्याग अपने भाईयों अपीलान्टगण व उत्तरदाता संख्या 02 के पक्ष में करना चाहती है। स[illegible] आराजी पटवार मण्डल कोजा के राजस्व 01. ग्राम कोजा [illegible] 512 क्षेत्रफल 0.2590 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन [illegible] का 1/6 हिस्सा, 02. ग्राम कोजा के खेत खसरा नम्बर 431 क्षैत्रफल [illegible]62 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:34 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमना (बाड़मेर)

स्व0 कानाराम का 1/6 हिस्सा, 03 ग्राम कोजा खसरा नम्बर 340, 346 क्षेत्रफल 12.4643, 1.6754 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 14.1397 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम **में स्व0 कानाराम का 1/6 हिस्सा,** 04 ग्राम कोजा के खेत खसरा नम्बर 331 क्षेत्रफल 0.1862 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम **में स्व0 कानाराम का 1/6 हिस्सा,** 05 ग्राम कोजा के खेत खसरा नम्बर 509 क्षैत्रफल 5.5523 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम **में स्व0 कानाराम का 1/2 हिस्सा,** 06 ग्राम रामवास के खेत खसरा नम्बर 525 क्षैत्रफल 18.8421 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम **में स्व0 कानाराम का 1/6 हिस्सा,** 07 ग्राम दोलाणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 169, 170, 38, 38/2 क्षेत्रफल 1.6754, 0.6961, 0.8094, 0.1862 हेक्टेयर कुल क्षैत्रफल 3.3671 हैक्टेयर किस्म सभी बारानी सोयम **में स्व0 कानाराम का 1/12 हिस्सा,** 08 ग्राम दोलाणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 39, 39/2 क्षैत्रफल 52.7709, 0.3237 कुल क्षैत्रफल 53.0946 हैक्टेयर किस्म सभी बारानी सोयम **में स्व0 कानाराम का 1/12 हिस्सा है इस प्रकार सम्पूर्ण भूमि में करीबन 86 बीघा भूमि स्व0 कानाराम के नाम दर्ज हुई थी।** 01 ग्राम कोजा में खेत खसरा नम्बर 512 क्षैत्रफल 0.2590 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन ढाणी में स्व0 धोलाराम के फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 959 दिनांक 26.02.2022 से विचाराधीन है। 02. ग्राम कोजा के खेत खसरा नम्बर 431 क्षैत्रफल 5.1962 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में स्व0 धोलाराम के फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 960 दिनांक 26.02.2022 से विचाराधीन है। 03 ग्राम कोजा खसरा नम्बर 340, 346 क्षैत्रफल 12.4643, 1.6754 हैक्टेयर कुल क्षैत्रफल 14.1397 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में स्व0 धोलाराम के फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 961 दिनांक 26.02.2022 से विचाराधीन है। 04 ग्राम कोजा के खेत खसरा नम्बर 331 क्षैत्रफल 0.1862 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम में स्व0 धोलाराम के फौतेदगी नामान्तकरण बकाया है। 05 ग्राम कोजा के खेत खसरा नम्बर 509 क्षैत्रफल 5.5523 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम में स्व0 धोलाराम के फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 966 दिनांक 02.06.2022 से विचाराधीन है। 06 ग्राम रामवास के खेत खसरा नम्बर 525 क्षैत्रफल 1[illegible] हैक्टेयर किस्म बारानी सोयमें स्व0 धोलाराम के फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 54 दिनांक 05.03.2022 को अपीलान्टगण व उत्तरदाता संख्या 02 से 03 के नाम से स्वीकृत है की हस्तगत अपील विचाराधीन है। 07 ग्राम दोलाणियों की ढाणी के खेत खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:34 IST
Reason: SelfAttested

27/10/23
उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (बाड़मेर)

नम्बर 169, 170, 38, 38/2 क्षेत्रफल 1.6754, 0.6961, 0.8094, 0.1862 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल 3.3671 हैक्टेयर किस्म सभी बारानी सोयम में स्व0 धोलाराम के फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 44 दिनांक 26.02.2022 से विचाराधीन है। 08 ग्राम दोलाणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 39, 39/2 क्षैत्रफल 52.7709, 0.3237 कुल क्षैत्रफल 53.0946 हैक्टेयर किस्म सभी बारानी सोयम में स्व0 धोलाराम के फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 43 दिनांक 26.02.2022 से विचाराधीन है। स्व0 धोलाराम के फौतेदगी विचाराधीन नामान्तरकण व बकाया नामान्तकरण को लेकर माननीय न्यायालय तहसीलदार धोरीमना के न्यायालय में आवेदन संख्या 02/2022 बअनवान बाबुलाल व अन्य बनाम भीखाराम व अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135 (2) रा0 भू0 अधि0 विचाराधीन है। अपीलान्टगण व उत्तरदाता संख्या 02 से 03 के मध्य राजीनामा हुआ उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमद– दरामद करवाना चाहते है जो निम्न प्रकार से है – राजस्व ग्राम कोजा में खेत खसरा नम्बर 512 क्षैत्रफल 0.2590 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 431 क्षैत्रफल 5.1962 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 340, 346 क्षैत्रफल 12.4643, 1.6754 हैक्टेयर कुल क्षैत्रफल 14.1397 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 331 क्षैत्रफल 0.1862 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 509 क्षैत्रफल 5.5523 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम, ग्राम रामवास के खेत खसरा नम्बर 525 क्षैत्रफल 18.8421 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, ग्राम दोलाणियों की ढाणी खेत खसरा नम्बर 169, 170, 38, 38/2 क्षैत्रफल 1.6754, 0.6961, 0.8094, 0.1862 हेक्टेयर कुल क्षैत्रफल 3.3671 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 39, 39/2 क्षैत्रफल 52.7709, 0. 3237 कुल क्षैत्रफल 53.0946 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में अपीलान्टगण व उत्तरदाता संख्या 02 से 03 के पिता कानाराम के बंट में रकबा 86 बीघा भूमि आती है। जिसमें से अपीलान्ट किशनाराम पुत्र कानाराम के पक्ष रकबा 30 बीघा अक्षरे तीस बीघा, अपीलान्ट बाबूलाल पुत्र कानाराम के पक्ष में रकबा 30 बीघा अक्षरे तीस बीघा व उत्तरदाता संख्या 02 भीखाराम पुत्र कानाराम के पक्ष में रकबा 26 बीघा [illegible] बीघा भूमि करवाना चाहते है। उत्तरदाता संख[illegible] उपरोक्त सम्पूर्ण खसरों में अपना नाम [illegible] है। वसीयत को आंशिक रूप से यथावत समझौता (राजीनामा) अनुसार रखना चाहते है। विचाराधीन व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:34 IST
Reason: SelfAttested

27.10.23
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमना (बाड़मेर)

बकाया नामान्तकरण में धोलाराम व खिवणी का नाम विलोपित करवाना चाहते है। 01. ग्राम कोजा के खेत खसरा नम्बर 512 क्षैत्रफल 0.2590 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन ढाणी में **अपीलान्ट किशनाराम पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 5/86 हिस्सा, अपीलान्ट बाबुलाल पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 5/86 हिस्सा, तथा उत्तरदाता संख्या 02 भीखाराम पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 13/258 हिस्सा,** 02. ग्राम कोजा के खेत खसरा नम्बर 431 क्षैत्रफल 5.1962 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में **में अपीलान्ट किशनाराम पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 5/86 हिस्सा, अपीलान्ट बाबुलाल पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 5/86 हिस्सा, तथा उत्तरदाता संख्या 02 भीखाराम पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 13/258 हिस्सा,** 03 ग्राम कोजा खसरा नम्बर 340, 346 क्षैत्रफल 12.4643, 1.6754 हैक्टेयर कुल क्षैत्रफल 14.1397 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में **अपीलान्ट किशनाराम पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 5/86 हिस्सा, अपीलान्ट बाबुलाल पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 5/86 हिस्सा, तथा उत्तरदाता संख्या 02 भीखाराम पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 13/258 हिस्सा** 04 ग्राम कोजा के खेत खसरा नम्बर 331 क्षैत्रफल 0.1862 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम में **अपीलान्ट किशनाराम पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 5/86 हिस्सा, अपीलान्ट बाबुलाल पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 5/86 हिस्सा, तथा उत्तरदाता संख्या 02 भीखाराम पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 13/258 हिस्सा,** 05 ग्राम कोजा के खेत खसरा नम्बर 509 क्षैत्रफल 5.5523 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम **अपीलान्ट किशनाराम पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 15/86 हिस्सा, अपीलान्ट बाबुलाल पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 15/86 हिस्सा, तथा उत्तरदाता संख्या 02 भीखाराम पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 13/86 हिस्सा,** 06 ग्राम रामवास के खेत खसरा नम्बर 525 क्षैत्रफल 18.8421 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में **अपीलान्ट किशनाराम पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 5/86 हिस्सा, अपीलान्ट बाबुलाल पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 5/86 हिस्सा, तथा उत्तरदाता संख्या 02 भीखाराम पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 13/258 हिस्सा** , 07 ग्राम दोलाणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 169, 170, 38, 38/2 क्षैत्रफल 1.6754, 0.6961, 0.8094, 0.1862 हैक्टेयर कुल क्षैत्रफल 3.3671 हैक्टेयर किस्म सभी बारानी सोयम में **अपीलान्ट किशनाराम पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 5/172 हिस्सा, अपीलान्ट बाबुलाल पुत्र कानाराम का कुल रकबे में**

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:34 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (बाड़मेर)
4.10.23

5/172 हिस्सा, तथा उत्तरदाता संख्या 02 भीखाराम पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 13/516 हिस्सा, 08 ग्राम दोलाणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 39, 39/2 क्षैत्रफल 52.7709, 0.3237 कुल क्षैत्रफल 53.0946 हैक्टेयर किस्म सभी बारानी सोयम में **अपीलान्ट किशनाराम पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 5/172 हिस्सा, अपीलान्ट बाबुलाल पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 5/172 हिस्सा, तथा उत्तरदाता संख्या 02 भीखाराम पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 13/516 हिस्सा उपरोक्त आराजी में रखना चाहते है।** उपरोक्त समझौता अपीलान्टगण व उत्तरदाता संख्या 02 से 03 राजी खुशी बिना किसी दबाब से, पारिवारिक सहमति से कर लिया है, गांव के मौजिज लोगों के रूबरू राजीनामा किया हैं किसी भी पक्षकार व उनके परिवार को कोई आपत्ति नहीं है। भविष्य में उपरोक्त समझौता अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद रहेगा भविष्य में किसी प्रकार वाद विवाद नही करेंगे यदि किया तो खारीज माना जावें। तहसीलदार के न्यायालय में विचाराधीन आवेदन विड्रो समझा जावे हस्तगत राजीनामा अनुसार निर्णय पारित करवाना चाहते है। प्रार्थना पत्र समझौता स्वीकार किया जाना उचित, न्याय संगत है। अतः श्रीमान् से कर बद्ध निवेदन हैं कि अपीलान्ट व उत्तरदाता संख्या 02 से 03 का प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत आदेश 23 नियम 03 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते आपसी समझौता (राजीनामा) अनुसार अपील स्वीकृत व आदेश पारित कर निर्णय पारित करने का आदेश प्रदान करने का पेश किया।**

हमने प्रार्थना पत्र अपीलान्टगण व उत्तरदाता संख्या 03 के अधिवक्ता की बहस विस्तारपूर्व सुनी गई। अधिवक्ताओं ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार का दोनों को न्याय देना उचित व न्याय संगत हैं समझौता होने पर सभी पक्षकारों को आपस में मेल भाव में बढोतरी होगी एवं दोनों को पक्षकार खर्चे से जैरबार नहीं होगें।

हमने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 03 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का, मौखिक बहस अभयपक्ष का, हस्तगत अपील, वसीयत, राजीनामा [illegible] का समग्ररूप से अध्ययन, अवलोकन एवं मूल्यांकन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:34 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त [illegible] से स्पष्ट हैं कि अपील को आंशिक व **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 03 सपठित धारा 151**

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (बाड़मेर)

सीपीसी वास्ते आपसी समझौता (राजीनामा) अनुसार अपील स्वीकृत व आदेश पारित करने का स्वीकार करना उचित/विधिसंगत होगा।

–: : आदेश : :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 03 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते आपसी समझौता (राजीनामा) अनुसार अपील स्वीकृत व आदेश पारित करने** को स्वीकार किया जाता है तहसीलदार धोरीमना को निम्न आदेश दिया जाता हैं :–

01. उपरोक्त आराजी पटवार मण्डल कोजा के राजस्व 01. ग्राम कोजा के खेत खसरा नम्बर 512 क्षैत्रफल 0.2590 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन ढाणी में **स्व0 कानाराम का 1/6 हिस्सा,** 02. ग्राम कोजा के खेत खसरा नम्बर 431 क्षैत्रफल 5.1962 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में **स्व0 कानाराम का 1/6 हिस्सा,** 03 ग्राम कोजा खसरा नम्बर 340, 346 क्षैत्रफल 12.4643, 1.6754 हैक्टेयर कुल क्षैत्रफल 14.1397 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम **में स्व0 कानाराम का 1/6 हिस्सा,** 04 ग्राम कोजा के खेत खसरा नम्बर 331 क्षैत्रफल 0.1862 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम **में स्व0 कानाराम का 1/6 हिस्सा,** 05 ग्राम कोजा के खेत खसरा नम्बर 509 क्षैत्रफल 5.5523 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम **में स्व0 कानाराम का 1/2 हिस्सा,** 06 ग्राम रामवास के खेत खसरा नम्बर 525 क्षैत्रफल 18.8421 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम **में स्व0 कानाराम का 1/6 हिस्सा,** 07 ग्राम दोलाणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 169, 170, 38, 38/2 क्षैत्रफल 1.6754, 0.6961, 0.8094, 0.1862 हेक्टेयर कुल क्षैत्रफल 3.3671 हैक्टेयर किस्म सभी बारानी सोयम **में स्व0 कानाराम का 1/12 हिस्सा,** 08 ग्राम दोलाणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 39, 39/2 क्षैत्रफल 52.7709, 0.3237 कुल क्षैत्रफल 53.0946 हैक्टेयर किस्म सभी बारानी सोयम **में स्व0 कानाराम का 1/12 हिस्सा है इस प्रकार सम्पूर्ण भूमि में करीबन 86 बीघा भूमि स्व0 कानाराम के नाम दर्ज हुई थी।** जिसमें से अपीलान्ट किशनाराम पुत्र कानाराम के पक्ष रकबा 30 बीघा अक्षरे तीस बीघा, अपीलान्ट बाबूला[illegible]राम के पक्ष में रकबा 30 बीघा अक्षरे तीस बीघा व [illegible] पुत्र कानाराम के पक्ष में रकबा 26 बीघा अक्षरे छब्बीस बीघा भूमि रखने का आदेश दिया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:34 IST
Reason: SelfAttested

27.10.23
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमना (बाड़मेर)

02. उपरोक्त खेतों में उत्तरदाता संख्या 03 खिवणी पुत्र कानाराम का उपरोक्त सम्पूर्ण खसरों में खिवणी का नाम विलोपित करने का आदेश दिया जाता है।

03. उपरौक्त खसरों में विचाराधीन, अपीलाधीन, एवं बकाया खेतों में 01. ग्राम कोजा के खेत खसरा नम्बर 512 क्षेत्रफल 0.2590 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन ढाणी में **अपीलान्ट किशनाराम पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 5/86 हिस्सा, अपीलान्ट बाबुलाल पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 5/86 हिस्सा, तथा उत्तरदाता संख्या 02 भीखाराम पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 13/258 हिस्सा,** 02. ग्राम कोजा के खेत खसरा नम्बर 431 क्षेत्रफल 5.1962 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में **में अपीलान्ट किशनाराम पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 5/86 हिस्सा, अपीलान्ट बाबुलाल पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 5/86 हिस्सा, तथा उत्तरदाता संख्या 02 भीखाराम पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 13/258 हिस्सा,** 03 ग्राम कोजा खसरा नम्बर 340, 346 क्षैत्रफल 12.4643, 1.6754 हैक्टेयर कुल क्षैत्रफल 14.1397 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में **अपीलान्ट किशनांराम पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 5/86 हिस्सा, अपीलान्ट बाबुलाल पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 5/86 हिस्सा, तथा उत्तरदाता संख्या 02 भीखाराम पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 13/258 हिस्सा** 04 ग्राम कोजा के खेत खसरा नम्बर 331 क्षैत्रफल 0.1862 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम में **अपीलान्ट किशनाराम पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 5/86 हिस्सा, अपीलान्ट बाबुलाल पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 5/86 हिस्सा, तथा उत्तरदाता संख्या 02 भीखाराम पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 13/258 हिस्सा,** 05 ग्राम कोजा के खेत खसरा नम्बर 509 क्षैत्रफल 5.5523 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम **अपीलान्ट किशनाराम पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 15/86 हिस्सा, अपीलान्ट बाबुलाल पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 15/86 हिस्सा, तथा उत्तरदाता संख्या 02 भीखाराम पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 13/86 हिस्सा,** 06 ग्राम रामवास के खेत खसरा नम्बर 525 क्षैत्रफल 18.8421 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में **अपीलान्ट किशनाराम पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 5/86 हिस्सा, अपीलान्ट बाबुलाल पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 5/86 हिस्सा, तथा उत्तरदाता संख्या 02 भीखाराम पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 13/258 हिस्सा,** 07 ग्राम दोलानियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 169, 170, 38, 38/2 क्षैत्रफल 1.6754, 0.6961, 0.8094, 0.1862 हेक्टेयर कुल क्षैत्रफल 3.3[illegible] हैक्टेयर किस्म सभी बारानी सोयम में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:34 IST
Reason: SelfAttested

27.10.23
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बाड़मेर)

अपीलान्ट किशनाराम पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 5/172 हिस्सा, अपीलान्ट बाबुलाल पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 5/172 हिस्सा, तथा उत्तरदाता संख्या 02 भीखाराम पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 13/516 हिस्सा, 08 ग्राम दोलाणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 39, 39/2 क्षैत्रफल 52.7709, 0.3237 कुल क्षैत्रफल 53.0946 हैक्टेयर किस्म सभी बारानी सोयम में अपीलान्ट किशनाराम पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 5/172 हिस्सा, अपीलान्ट बाबुलाल पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 5/172 हिस्सा, तथा उत्तरदाता संख्या 02 भीखाराम पुत्र कानाराम का कुल रकबे में 13/516 हिस्सा रखने का आदेश जाता है।

04. उपरोक्त खेतामें में विचाराधीन नामान्तकरणों को आदेश की पैरा संख्या 03 अनुसार संशोधित करने का आदेश दिया जाता है।

05. वसीयत नामा को आंशिक यथावत राजीनामा अनुसार रखे जाने का आदेश दिया जाता है।

06. तहसीलदार धोरीमना को आदेश के पैरा संख्या 03 अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद का आदेश दिया जाता है।

07. पत्रावली संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

27.10.23

(लाखाराम) RAS
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी धोरीमना (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 27/10/23 को सरे ईजलास सुनाया गया।

27.10.23

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी धोरीमना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:34 IST
Reason: SelfAttested